हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सोलहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 152

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

बैठक के प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण दो ईश्यूज़ पर हमने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिसिज़ दिए हैं, सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित करके पहले उन पर चर्चा करवाई जाए। हमारा मानना है कि सारे हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसलिए पहले इस पर चर्चा करवाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"ये मैटर सब-ज्यूडिस है। हम इनको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे । नियम-67 के संदर्भ में पिछले कल काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। "

(विपक्ष ने नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाए जाने पर जोर देते हुए नारे लगाने शुरू किए)

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3351, 3660, 3665, 3980, 4078 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 4134 से 4149 तक के उत्तर मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए ।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1474, 3604 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1741 से 1750 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए ।

(पूर्वाह्न 11.10 बजे माननीय सदन की बैठक अपराह्न 12.00 बजे तक स्थगित की गई)

(अपराह्न 12.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से आग्रह किया कि कुछ प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने हैं उसमें आप हमारा सहयोग करें। एक ट्राईबल का बिल वापिस होना है वह बिल वापिस हो सके। एक बिल हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित है, क्योंकि हमारे प्रदेश में डॉक्टर्ज़ की शॉर्टेज़ रहती है, बहुत से मैडिकल संस्स्थान और नर्सिंग संस्थान यहां खुल गए हैं, इसलिए मैडिकल यूनिवर्सिटी का बिल पारित होना है। आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है । आपके सहयोग से ही यह सदन उचित ढंग से चल पाया है। आप इसमें भी हमारा सहयोग करें। सदन के प्रतिवेदन और जो दो महत्वपूर्ण बिल है इन पर कार्रवाई के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी, माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, का मार्ग दर्शन मिलेगा और हम बहुत ही अच्छे वातावरण के साथ यहां से जाएं। मुझे आपसे यही अपील करनी है।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है । मुझे लगता है कि सत्तापक्ष और विपक्ष की सहमति हो गई है।

2. कागजात सभा पटल परः

1. **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-
   (i) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 43 के अन्तर्गत लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
   (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश का दसवां (अप्रैल 1, 2014 से मार्च 31, 2015) तथा ग्यारहवां (अप्रैल 1,2015 से मार्च 31, 2016) वार्षिक प्रतिवेदन;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं , भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः5-59/2015-ईएलएन दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2017 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 ।

(1) (क)

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पर (एपी-बी)बी0(2)-2/2017 दिनांक 04.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.08.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (इग्जैमशन फ्राम कंसलटेशन)(थट्इअॅथ अमेंडमेंट) रेगुलेशनज, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(3)-2/2014 दिनांक 19.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.05.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, दफतरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः कार्मिक पर(एपी-बी)बी(2)-1/2017 दिनांक 06.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.06.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, के गठन की अधिसूचना जोकि

अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III दिनांक 19.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.05.2017 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, के प्रक्रिया और संचालन (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001 दिनांक 19.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.05.2017 को प्रकाशित; और

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17.

2. **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ0डी0एस0-ए(3)-4/2015 दिनांक 28.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2017 को प्रकाशित;

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2015-16; और

(iv) हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के 16वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16.

3. **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** संस्था अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

   (i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

   (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, चल चित्र एवं छाया अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए-(3)-1/2016 दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.07.2017 को प्रकाशित ।

5. **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर एवं ग्रा म योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी0-(बी)2-1/2012(रूल्ज) टी0पी0 दिनांक 17.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.07.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी ।

6. **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्र ने,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. **श्री रविन्द्र सिंह,सभापति,लोक लेखा समिति (वर्ष 2017-18) ने** निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल रखीः-

(i) समिति के 99वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 176वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 285वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है ।

2. **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के नवम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर

आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है ।

3. **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 82वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 के ऑडिट पैरा संख्या:3.2 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 83वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2014 के ऑडिट पैरा संख्या:3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है ।

4. **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 24वां

कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

5. **श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि भू-राजस्व व जिला प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित है ।

6. **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18) ने** समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

7. **श्रीमती आशा कुमारी,सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2017-18)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः

(i) समिति का 29वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

8. **श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सदस्य, ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, (वर्ष 2017-18)ने** समिति के **विशेष प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

5. विधायी कार्यः

(1) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री सुरेश भारद्वाज
3. श्री जय राम ठाकुर

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 62 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

विधान सभा सत्र की समाप्ति पर सदन के नेता तथा माननीय मुख्य मन्त्री ने कहाः-

"आज इस माननीय सदन का आखिरी दिन है और उसके बाद नई विधान सभा इलैक्ट होगी। मैं इस विधान सभा में जो कार्यवाही हुई है उसके संचालन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बधाई देता हूँ, क्योंकि जो भी इस सदन में कामकाज़ हुआ है और बिल पास हुए हैं, उसमें दोनों पक्षों का योगदान रहा है। मैं विपक्ष के नेता, प्रेम कुमार धूमल साहिब को बधाई देता हूँ। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ। पक्ष के सभी माननीय सदस्यों एवं सहयोगियों को भी बधाई देता हूँ। हम इन सबके मिले-जुले प्रयास से ही उपलब्धियाँ प्राप्त कर सके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ और आपके यहां जो अधिकारियों का पैनल है, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ । उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नियमों को ध्यान में रखते हुए इस सदन की कार्यवाही को सम्पूर्ण करने में अपना योगदान दिया है। मैं विधान सभा सचिवालय के सारे स्टाफ को बधाई देता हूँ। इन सभी ने यहां दिन-रात बैठकर मेहनत की है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर तक जितने भी अधिकारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इनके सक्रिय सहयोग से ही सरकारें चलती हैं और हमारी सरकार चली है तथा इन सबने नीति-निर्धारण में सरकार को सहयोग दिया है। सत्र के संचालन में इनका बहुत योगदान रहा है और उसे मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। I Wish them all the best. Thank you sir."

विपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां पर अपने उद्‌गार प्रकट किए हैं। आज पांच वर्ष के कार्यकाल का अन्तिम सत्र और सत्र का आखिरी दिन है और यह सौहार्दपूर्ण ढंग से खत्म हो, इसके लिए जो प्रयास संसदीय कार्य मन्त्री ने किए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ तथा धन्यवाद करता हूँ। लोकतंत्र में चर्चायें बहुत होती हैं, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है । जैसे कहा भी गया है कि मतभेद होता है

इसलिए हम अलग-अलग पार्टियों में होते हैं और सबका अपना-अपना प्वाईंट ऑफ व्यू है। लेकिन जब भी तर्क और टिप्पणियां हो जाती हैं तो उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्तिगत तौर पर ठेस पहुंचाने का नहीं होता है बल्कि अपने-अपने विचारों को रखने की बात होती है। इन पांच वर्षों में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं, जब अपनी बुद्धिमत्ता से सारे सदन ने मिलकर सर्वसम्मति से अच्छे निर्णय लिए हैं। इस सदन में कई मौके ऐसे भी आए हैं, जब हमारा टकराव हुआ है और मतभेद रहे हैं। दोनो पक्षों ने अपनी-अपनी बात लोज़िकल ढंग से रखी है। आज हम यहां से एक नई पारी प्रारम्भ करने के लिए जाएंगे। मैं सरकार को इन पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा सचिवालय के सारे स्टॉफ का धन्यावाद करता हूँ। जब सदन शुरू होता है तो अधिकारियों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं मीडिया का भी आभारी हूँ कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों के मत को पूरा स्थान दिया है। कहा भी गया है कि" All is well that ends well". आज इस माननीय सदन में अन्तिम दिन में जो अन्तिम निर्णय लिया गया है, वह हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए और संस्था को नियमित करने के लिए लिया गया है। आज इस माननीय सदन में सर्वसम्मति से मैडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। जो कड़वाहट कहीं नारों और टिप्पणियों से आई होगी, आओ हम सब उसको भूलकर एक नई पारी का प्रारम्भ करें। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र में मतभेद न रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सत्र की समाप्ति पर निम्न शब्दों में अपने उद्गार प्रकट किएः-

"इस विधान सभा के सत्र की चार बैठकें आयोजित हुई। इस सत्र के दौरान तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाए गए । इस सभा में 6 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित हुए तथा 3 विधेयक पारित हुए। एक विधेयक को वापिस लिया गया। विधान सभा की समितियों ने भी 50 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज़ों को भी सभा पटल पर रखा गया। मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ कि आपने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं विशेष तौर पर सदन के नेता, श्री वीरभद्र सिंह जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का खास तौर पर धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस सदन के सुचारू संचालन हेतु अपना सहयोग और मार्गदर्शन दिया। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय मंत्रियों, विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मैं माननननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री जगत सिंह नेगी जी तथा सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूँ जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मैं पत्रकार बन्धुओं व प्रिंट मीडिया का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों व प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने विधान सभा कार्यवाही के निष्पादन के लिए दिन-रात सेवाएं दी, उनका कार्य भी प्रशंसनीय है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

अपराह्न 01.15 बजे सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।